नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(Comptroller and Auditor General)

डा॰ अंबेडकर के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अन्तर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद है। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक है जो इसका मूल दायित्व है कि विधायिका की अनुमति के बिना सरकार द्वारा संचित निधि से कोई व्यय न किया जाय। CAG एक निष्पक्ष एवं स्वायत्त संस्था है जिसके द्वारा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व और ज्यादा प्रभावी एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः भारतीय संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का यह प्रमाण है कि उन्होंने ऐसी प्रशासनिक संस्थाओं का भी निर्माण किया जिससे लोकतंत्र को संबल प्राप्त हो सके।

संस्था को स्वतंत्र एवं स्वायत्त बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान

i) राष्ट्रपति के द्वारा CAG को उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश की भाँति ही पद से मुक्त किया जा सकता है।

ii) उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है।

iii) उसको SC के न्यायधीश के बराबर वेतन प्राप्त होता है।

iv) उसका एवं उसके समूचे कर्मचारियों का वेतन भारत की संचित नीधि पर भारित होता है। तथा संसद उसके वेतन पर मतदान नहीं कर सकती।

v) सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात वह भारत सरकार के अन्तर्गत कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता

CAG के कार्य :- CAG का कार्य सामान्यत: संघ सरकार और राज्य सरकार की लेखाओं का परीक्षण करना है। उसके कार्यों को संसदीय अधिनियम 1971 के द्वारा व्यापक रूप में वर्णित किया गया है। यह बिन्दु ध्यान देने योग्य है कि CAG भारत में लेखाओं का संकलन नहीं करता अपितु वह केवल लेखाओं का परीक्षण करता है। अतः CAG के कार्य निम्न हैं —

1) भारत की संचित नीधि एवं प्रत्येक राज्यों की संचित नीधि और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किए गये खर्चे का परीक्षण एवं उसकी रिपोर्ट तैयार करना।

2) लोक लेखा निधि एवं आकस्मिक नीधि से भी संघ और राज्य द्वारा किए गये खर्चों की जांच करना

3) व्यापार और विनिर्माण, लाभ घाटे चाहे वह संघ या राज्य सरकार द्वारा किए गये हों, उसका परीक्षण करना

4) ऐसी सभी संस्थाओं के लेखाओं की जांच करना। जिन्हें सरकार के द्वारा वित्त प्राप्त प्राप्त होता है या सरकार के राजस्व से संचालित हैं। ऐसी कंपनियों का भी लेखा परीक्षण किया जायेगा जिन्हें सरकार के द्वारा वित्त प्राप्त होता है।

Scanned with CamScanner

CAG एवं भारत में उसकी भूमिका :- (i) भारत में CAG की भूमिका सरकार द्वारा पैसे खर्च किए जाने के पश्चात आरंभ होती है। अत: यह पैसे के निकालने पर नियंत्रण नहीं रखता बल्कि केवल खर्च पर की जांच करता है

(ii) ब्रिटेन में CAG के द्वारा पैसा निकालने एवं खर्च करने दोनो पर नियंत्रण होता है।-

(ii) इस बिन्दु को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या CAG सरकार के अतिरिक्त या फालतू खर्च पर कोई टीप्पणी कर सकती है। एपेलबी के अनुसार CAG का कार्य केवल खर्च को नियंत्रित करना है और खर्च के लिए सुझाव या निर्देश देना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सरकार के द्वारा पैसे का खर्च प्रशासन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और खर्च एवं कुशलता में परस्पर संबंध होता है। CAG के द्वारा सरकार की कुशलता के लिए निर्देश नहीं दिया जा सकता। उसका कार्य वैधानिक रूप में केवल अनियमित खर्च को नियंत्रित करना है जिसकी अनुमति संसद ने प्रदान नहीं की है।

(iii) अब इस सन्दर्भ में एक मत निर्मित हो चुका है कि CAG के द्वारा ऐसी सार्वजनिक कम्पनियों का भी लेखा परिक्षण किया जायेगा जिन्हे सरकार के द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है।

Scanned with CamScanner

निष्कर्ष :- CAG की सतर्कता के कारण भारत में अनेक घोटालों का पर्दाफाश हुआ। CAG की रिपोर्ट पर संसद की आकलन समीति के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जिसके माध्यम से कार्यपालिका के कार्य पर एक प्रभावी

Scanned with CamScanner